

|| कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा ||

संभाग-दुर्ग

जिला प्रशासन के सामने, जी.ई. रोड, दुर्ग, छ.ग.
phone : 0788 2962296 E-mail : jddurg18@gmail.com

// आदेश //

क्र/2430/मान्यता वृद्धि/नवीनीकरण/2021

दुर्ग दिनांक 15/09/2021

छ.ग. शिक्षा संहिता के अध्याय 03 के नियम 33 के उपनिबन्ध (1) के तहत निम्न अंशालकीय लय को सत्र 2022-23 से 2023-24 तक दो वर्ष की अवधि के लिये अधोलिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण प्रदान की जाती है।

विद्यालय का नाम	समिति का नाम	अनुमति स्तर	माध्यम	सत्र	वर्ष
अजीज पब्लिक स्कूल इन्दामरा जिला राजनादगाव	अजीज एजुकेशन सोसायटी राजनादगाव	नर्सरी से 12वीं	अंग्रेजी	2022-23 से 2023-24 तक	सी जी

- छ.ग. नाशि म रायपुर के निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- समिति के स्वयं का शाला भवन हो अथवा समिति शीघ्र भवन निर्माण करवाए तथा शाला भवन संचालित कक्षा संख्या के मान से पर्याप्त हो जिसमें शौचालय मूत्रालय एवं पेयजल की पर्याप्त सुविधा हो।
- हाई स्कूल के लिये 01 प्रायोगिक कक्ष एवं हायर सेकण्डरी विज्ञान हेतु 03 प्रायोगिक कक्ष की व्यवस्था अनिवार्य है।
- शाला की दर्ज संख्या निर्धारित मापदण्ड से कम होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।
- शाला स्टॉफ की नियुक्ति आवश्यक विषय के मान से रचनाक्रम अनुसार की जाये।
- शाला में शैक्षणिक प्रायोगिक सामग्री एवं उपकरण पाठ्यक्रम अनुसार पर्याप्त हो।
- वित्तीय अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जाये।
- प्रारम्भिक कक्षा से कक्षा 12वीं तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के पूर्णतः पालन किया जावे।

15.9.21
संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग-दुर्ग (छ.ग.)

क्र/2431/मान्यता वृद्धि/नवीनीकरण/2021

दुर्ग दिनांक 15/09/2021

सचिव, माध्यमिक शिक्षा मडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
जिला शिक्षा अधिकारी, राजनादगाव को सूचनार्थ।
संबन्धित नोडल अधिकारी प्राचार्य, जिला राजनादगाव को सूचनार्थ।
प्राचार्य, अजीज पब्लिक स्कूल इन्दामरा, जिला राजनादगाव की ओर सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आगामी सत्र के पूर्व शाला द्वारा उक्त प्रभावशील शर्तों की पूर्ति कर ली जावे अन्यथा आगामी सत्र में मान्यता पर विचार संभव नहीं होगा।

15.9.21
संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग-दुर्ग (छ.ग.)